

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान:- विनोद बनाम भूपसिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.

वाद संख्या 169 / 2026

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो

026

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने न्यायालय में वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए. पेश किया। वाद पत्र में सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। मुताबिक सरिस्ता रिपोर्ट वाद पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 आर.टी.ए. के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.05.2026 को पेश हो।

(सत्यभारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

29/4/26

~~29/4/26~~ पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता स्व
प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया, विनोद
पत्रावली पेशी में ली गयी, मुताबिक
प्रार्थना पत्र वादी ने निवेदन किया कि
हस्तगत प्रकरण में राजीनामा हो जाने
के कारण आगामी कोई कार्यवाही नहीं
करना चाहते, वाद वर्तमान स्तर पर ही
स्वारिज्य किया जावे, प्रार्थना पत्र स्वसिद्ध
किया जाता है हस्तगत प्रकरण वर्तमान
स्तर पर ही विद्वो स्वारिज्य किया जावे
पत्रावली दायित्व दस्ता है।